

विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	राज्य कर एवं आबकारी
तारांकित प्रश्न संख्या	:	5044
उत्तर की तिथि	:	10 / 03 / 2022
विषय	:	शराब ठेकों की नीलामी
प्रश्नकर्ता का नाम	:	श्री मुकेश अग्निहोत्री (हरौली) श्री राजेन्द्र राणा (सुजानपुर)
सम्बन्धित मन्त्री	:	मुख्यमन्त्री

प्रश्न	उत्तर
(क) गत 3 वर्षों में दिनांक 31.01.2022 तक राज्य के आबकारी एवं कराधान विभाग ने कितनी बार शराब के ठेकों व एल-1 की नीलामी की है; ब्यौरा दें;	(क), (ख), (ग), (घ) और (ङ.) सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।
(ख) यदि नहीं, तो वर्तमान व्यवस्था क्या चल रही है;	
(ग) इस अवधि में नीलामी से प्रत्येक वर्ष कितना राजस्व अर्जित किया गया; ब्यौरा वर्षवार दें;	
(घ) प्रदेश में कितने ठेकेदारों ने विभाग को तय धनराशि का कितना भुगतान नहीं किया तथा उन ठेकेदारों पर क्या कार्यवाई अमल में लाई गई; नाम व पते सहित ब्यौरा दें; और	
(ङ.) राज्य में अवैध शराब के कारोबार का कोई आकलन विभाग द्वारा किया गया है; यदि हां, तो ब्यौरा दें?	

तारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या 5044 जोकि माननीय विधायक श्री मुकेश अग्निहोत्री (हरोली) और श्री राजेन्द्र राणा (सुजानपुर) द्वारा शराब ठेकों की नीलामी बारे पूछा गया है, से सम्बंधित सूचना :

- (क) जी नहीं, इस अवधि में शराब के ठेकों व एल-1 की नीलामी नहीं की गई है।
- (ख) वर्तमान में शराब के ठेकों के नवीनीकरण की व्यवस्था है, जो ठेके/यूनिट नवीकृत नहीं हुए उन्हें लाटरी (Draw of lots), निविदा (Tender) व समझौतावार्ता (Negotiation) प्रक्रिया द्वारा आबंटित किया जाता है।
- (ग) गत वर्षों में ठेकों तथा यूनिटों के आबंटन की प्रक्रिया तथा वर्षवार अर्जित राजस्व का विवरण निम्न प्रकार से है:-

वित्तीय वर्ष	अपनाई गई प्रक्रिया	अर्जित राजस्व (करोड़ों में)
2018-19	Draw of Lots (लाटरी)	1057.54
2019-20	नवीनीकरण	1064.00
2020-21	नवीनीकरण	1175.61
2020-21 (extension period of 03 months i.e. from 01-04-21 to 30-06-2021, due to COVID 19)	314.64

इसके उपरान्त वित्त वर्ष 2021-22 में (01.07.2021 से 31.01.2022 तक) 800.00 करोड़ रुपए अर्जित किए गए हैं।

- (घ) गत तीन वर्षों में 60 ठेकेदारों से तय धनराशि का कुल 52.30 करोड़ रुपए शेष है। जिन ठेकेदारों द्वारा तय धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है उनका विवरण कृत कार्यवाही के ब्यौरे सहित परिशिष्ट 'क' पर संलग्न किया गया है।
- (ङ) जी नहीं। अवैध शराब के कारोबार का आकलन नहीं किया जा सकता। अवैध शराब की सूचना मिलने पर राज्य कर एवं आबकारी विभाग व पुलिस विभाग स्वतन्त्र एवं संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हैं।

परिशिष्ट "क"

जिला	वर्ष	ठेकेदार का नाम व पता	देय राशि	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही
शिमला	2018-19	मै० देवेन्द्र कुमार लॉअर बाजार स्पुत्र स्व० श्री प्रताप सिंह गांव मिन्दु दी हट्टी पुराना बस स्टेण्ड शिमला (भरारी यूनिट)	23,65,853 / -	बकाया राशि की वसूली हेतु भू-राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है।
	2018-19	मै० कृष्ण लाल काल्टा स्पुत्र श्री मोती राम काल्टा गांव व डा० कुईनल त० कोटखाई जिला शिमला हि०प्र० (सब्जी मण्डी यूनिट)	32,98,551 / -	-यथोपरि-
	2018-19	मै० नरेश कुमार स्पुत्र श्री रामसिंह हिमगीरि हॉटल लोंगवूड नजदीक आर०के०एम०वी० शिमला हि०प्र० (सी०टी०ओ० मॉल रोड)	26,80,554 / -	-यथोपरि-
	2018-19	मै० रूमीला देवी पत्नी श्री हिरा सिंह निवासी खड़ाहन 26 तहसील नन्खड़ी जिला शिमला (खोलीघाट और खराहन यूनिट)	11,07,301 / -	-यथोपरि-
	2018-19	मै० विर प्रकाश बाल्टु स्पुत्र स्व० श्री मेहर चन्द गांव व डा० ढाडीगुन्सा, त० जुबल जिला शिमला हि०प्र० (भोलाड यूनिट)	2,73,354 / -	-यथोपरि-
	2018-19	मै० संजीव कुमार स्पुत्र स्व० श्री रामानन्द गांव कनोहर नाला, डा० कफरी त० व जिला शिमला। (बड़ागांव युनिट)	38,30,255 / -	-यथोपरि-
	सोलन	2018-19	मैसर्ज कपिल ठाकुर	62,43,039 / -
2018-19		मैसर्ज तिलक राज	50,33,936 / -	-यथोपरि-
2018-19		मैसर्ज विनेश कुमार	1,82,39,027 / -	-यथोपरि-
2018-19		मैसर्ज राजेश कुमार	3,72,55,514 / -	-यथोपरि-
2018-19		मैसर्ज कुलदीप ठाकुर	23,35,287 / -	-यथोपरि-
2018-19		मैसर्ज जयवर्धन	54,26,664 / -	-यथोपरि-
2018-19		मैसर्ज राजेन्द्र भारद्वाज	11,34,892 / -	-यथोपरि-
2018-19		मैसर्ज रमेश ठाकुर	12,29,783 / -	शेष राशि की वसूली की जा रही है।
2018-19		मैसर्ज राजेन्द्र कुमार	5,33,562 / -	शेष राशि की वसूली की जा रही है।
2018-19		मैसर्ज राम देई	25,97,920 / -	शेष राशि की वसूली की जा रही है।
सोलन	2019-20	मैसर्ज संतराम	87,82,934 / -	लाईसैंसी की चल-अचल संपत्ति पर लाल इन्द्राज करके बैंक खाते को भी सील कर दिया गया है व वसूली के

				लिए संपत्ति को बेचने हेतु मामला मण्डलायुक्त शिमला के लिए तैयार किया जा रहा है।
	2019-20	मैसर्ज कवर सिंह	89,04,858 / -	लाईसैंसी की चल-अचल संपत्ति पर लाल इन्द्राज कर दिया गया है तथा बैंक खाते को भी जब्त कर लिया गया है व संपत्ति को बेचने हेतु मामला मण्डलायुक्त, शिमला के लिए तैयार किया जा रहा है। दो मामले नेगाशिऐबल इन्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के तहत माननीय जिला न्यायालय सोलन में विचाराधीन/लम्बित है।
	2019-20	मैसर्ज ज्ञान चन्द	1,35,43,851 / -	-यथोपरि-
चम्बा	2020-21	श्रीमति मानो देवी पत्नी स्व० श्री कैलाश चन्द ठाकुर, गांव व डा० कोटी तहसील व जिला चम्बा हि०प्र०। 2. श्री नरिन्द्र ठाकुर सपुत्र स्व० श्री कैलाश चन्द ठाकुर गांव व डा० कोटी तहसील व जिला चम्बा हि०प्र०	58,93,858 / - 3,84,944 / -	लाईसैंसी को उक्त राशि जमा करने बारे नोटिस जारी किए गए हैं तथा उगाही के लिए भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रक्रिया आरम्भ की जा रही है।
कुल्लू	2018-19	श्री गुरसाजन बेदी पुत्र श्री इकबाल सिंह बेदी, गृह संख्या 2331-ए, ब्लॉक-सी, रणजीत अवेन्यू, अमृतसर(पंजाब)	1,43,24,161 / -	बकाया राशि की वसूली भू-राजस्व अधिनियम, 1954 में घोषित की गई है। इसके अतिरिक्त नेगाशिऐबल इन्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 में मामला माननीय जिला न्यायालय कुल्लु में विचाराधीन/लम्बित है।
	2018.19	मैसर्ज राणा एण्टरप्राइजिज, पार्टनर श्री अमनदीप राणा पुत्र श्री जगदीश राणा, गांव हम्बेवाल, डा० निक्कू नंगल, तहसील नंगल, जिला रोपड, पंजाब	5,34,66,134 / -	बकाया राशि की वसूली हेतु भू-राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 के अन्तर्गत संबंधित जिला समाहर्ताओं के माध्यम से उठाया गया है। इसके अतिरिक्त नेगाशिऐबल इन्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 में मामला माननीय जिला न्यायालय कुल्लु में विचाराधीन/लम्बित है।
	2018-19	श्री दविंदर ग्रोवर पुत्र श्री प्रेम चन्द, गृह सं० 127, सैक्टर 37 बी, चण्डीगढ	1,21,09,462 / -	बकाया राशि की वसूली हेतु भू-राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 के अन्तर्गत संबंधित जिला समाहर्ताओं के माध्यम से उठाया गया है।
	2018-19	मैसर्ज राणा पार्टनर्स, श्री राजेश कुमार पुत्र श्री केसर सिंह व हरप्रित सिंह पुत्र श्री धर्म सिंह, चौहान विला रबन नजदीक एस०सी०इ०आर०टी, सपरून, सोलन	89,42,481 / -	-यथोपरि-
	2018-19	श्री दविंदर ग्रोवर पुत्र श्री प्रेम चन्द, गृह सं० 127, सैक्टर 37 बी, चण्डीगढ	72,07,556 / -	-यथोपरि-
ऊना	2018-19	मैसर्ज राणा एण्ड सन्ज, श्री देविन्दर ग्रोवर पुत्र श्री प्रेम चन्द ग्रोवर, श्री राजेश कुमार पुत्र श्री जगदीश राम, 15 मेन मार्केट नंगल टाउनशिप, जिला रूपनगर।	15,25,497 / -	लाईसैंसी को नोटिस जारी किये गये हैं जिसके उपरान्त बकाया राशि की बसूली हेतु भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रक्रिया शुरू की गई।

	2018-19	मैसर्ज राणा एण्टरप्राइजिज एण्ड कम्पनी, श्री संजीव कुमार पुत्र श्री इन्द्र सिंह, श्री जसबीर सिंह पुत्र श्री बलविन्दर सिंह, 15 मेन मार्केट नंगल टाउनशिप, जिला रूपनगर।	11,78,284 / -	-यथोपरि-
	2018-19	श्री अमन रायजादा पुत्र श्री संदीप राज सिंह, गां0 व डा0 बदसाली, तहसील हरोली, जिला ऊना	16,83,570 / -	-यथोपरि-
	2018-19	श्री योगेश कुमार पुत्र श्री बालकृष्ण, गांव व डा0 टक्का, तहसील व जिला ऊना	21,96,564 / -	-यथोपरि-
	2018-19	मैसर्ज राणा बीयर बार, श्री उमेश चौहान पुत्र श्री चैत राम व श्री संजीव कुमार पुत्र श्री इन्द्र सिंह, 15 मेन बाजार नंगल	29,62,455 / -	-यथोपरि-
	2018-19	मैसर्ज राणा ब्रदर्स, श्री संजीव कुमार पुत्र श्री कंवर शेर बहादुर सिंह व श्री राकेश कुमार, 15 मेन बाजार नंगल	11,93,557 / -	-यथोपरि-
	2018-19	मैसर्ज राणा बीयर बार, श्री उमेश चौहान पुत्र श्री चैत राम व श्री संजीव कुमार पुत्र श्री इन्द्र सिंह, 15 मेन बाजार नंगल	7,44,523 / -	-यथोपरि-
	2018-19	मैसर्ज हरप्रिया मन्हास पत्नी श्री अमिल मन्हास, रिपोज मरी फील्ड एस्टेट, नवबहार, शिमला	1,18,62,025 / -	लाईसैंसी के राजस्व दस्तावेजों में लाल इन्द्राज करके बकाया राशि की वसूली करने हेतु भू-राजस्व अधिनियम के अर्न्तगत कार्यवाही की जा रही है।
	2018-19	श्री रोहित कुमार पुत्र श्री सुखदेव सिंह, गां0 व डा0-बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना	4,46,79,51 / -	-यथोपरि-
ऊना	2019-20	मैसर्ज हरप्रिया मन्हास पत्नी श्री अमिल मन्हास, रिपोज मरी फील्ड एस्टेट, नवबहार, शिमला	1,05,16,252 / -	-यथोपरि-
	2019-20	श्री रोहित कुमार पुत्र श्री सुखदेव सिंह, गां0 व डा0-बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना	27,12,890 / -	-यथोपरि-
सिरमौर	2018-19	मै0 श्रुति त्यागी,	6,23,10,935	-यथोपरि-
	2018-19	मै0 देवराज	1,54,83,772 / -	-यथोपरि-
	2018-19	मै0 संतोष जीवन शर्मा	1,13,36,939 / -	-यथोपरि-
	2019-20	मैसर्ज राजेश सिंह कंवर	3,72,18,106 / -	लाईसैंसी द्वारा दी गई प्रतिभूति को विभाग द्वारा जब्त कर लिया गया है। भू-राजस्व अधिनियम के तहत भू-अभिलेख में लाल इन्द्राज करके उसकी अचल संपत्ति को बेचने हेतु मामला मण्डलायुक्त, शिमला को स्वीकृति हेतु भेजा गया है।

	2019-20	मैसर्ज राकेश चन्द	59,36,281 / -	लाईसेंसी द्वारा दी गई प्रतिभूति को विभाग द्वारा जब्त कर लिया गया है। भू-राजस्व अधिनियम के तहत भू-अभिलेख में लाल ईन्द्राज कर दिया गया है।
	2020-21	मैसर्ज कंवर एवं पार्टनरस	3,79,85,601 / -	-यथोपरि-
कांगडा	2019-20	मैसर्ज प्रिन्स कुमार पुत्र श्री प्रकाश चन्द	11,68,060 / -	राशि की उगाही हेतु भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत कार्यवाही की जा रही है।
मण्डी	2018-19	श्री संजय कुमार पुत्र श्री जीत सिंह, गांव व डाक घर जल पेहड, तहसील जोगिन्द्र नगर, जिला मण्डी।	7,37,331 / -	लाईसेंसी के विरुद्ध चैक बाउंस का केस CJM जोगिन्द्रनगर की अदालत में विचाराधीन है
	2018-19	श्री स्वरूप कुमार डोगरा, छातर, डाकघर ओट्रेटा तहसील पालमपूर, जिला कांगडा, हि0प्र0	1,74,760 / -	लाईसेंसी बकाया राशि का भुगतान किशतों में कर रहा है।
बी0बी0एन0 बद्दी	2018-19	मैसर्ज दयानन्द त्यागी व कम्पनी, निवास स्थान डब्ल्यू जेड-112, बसाई धारपूर, पश्चिम दिल्ली, व दीनानाथ पुत्र श्री कृष्ण चन्द, निवास स्थान गांव -कलौनी डा0 पनारसा, तहसील औट, जिला मण्डी	3,96,61,371 / -	बकाया राशि की वसूली हेतु भरसक प्रयास किये जा रहे हैं।
बिलासपुर	2018-19	देविन्दर ग्रोवर, राजेश पटियाल, हाउस संख्या-1127, सैक्टर 37 बी साई 19/21, दत्रोण, हमीरपुर	8,94,143 / -	बकाया राशि को भू-राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत वसूली हेतु नोटिस जारी किया गया है।
	2018-19	मैसर्ज राणा पार्टनर्स, राजेश कुमार पुत्र श्री केसर सिंह, गांव व डा0 दोभेटा, तहसील नंगल, जिला रोपड	24,13,181 / -	-यथोपरि-
	2018-19	मैसर्ज राणा बीयर बार, श्री उमेश चौहान व संजीव कुमार, निवासी 15 डी.आर. मुख्य बाजार नंगल	25,88,266 / -	-यथोपरि-
	2018-19	मैसर्ज राणा पार्टनर्स, राजेश कुमार पुत्र श्री केसर सिंह, गांव व डा0 दोभेटा, तहसील नंगल, जिला रोपड	27,38,607 / -	-यथोपरि-
	2018-19	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री रचपाल सिंह, निवासी रामनगर, वार्ड न0-2, नंगल	42,58,072 / -	-यथोपरि-
	2018-19	श्री संजीव कुमार, रामनगर, वार्ड न0 2 तहसील नंगल, जिला रोपड, पजांब	43,61,207 / -	बकाया राशि की वसूली हेतु मामला भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर किया है व उपायुक्त, जिला बिलासपुर के विचाराधीन है।
	2018-19	मै0 राणा इन्टरप्राइजेज एण्ड कम्पनी, मालिक अशोक कुमार, रामनगर, वार्ड न0 2 तहसील नंगल, जिला रोपड, पजांब	30,68,983 / -	-यथोपरि-
	2018-19	मै0 राणा फर्म, देविन्द्र ग्रोवर पुत्र श्री प्रेम चंद ग्रोवर, मकान न0 1127, सैक्टर 37बी चण्डीगढ व राजेश पटियाल पुत्र श्री दलीप सिंह साई	25,93,430 / -	-यथोपरि-

		बतरन जिला हमीरपुर,		
	2018-19	श्री उमेश चौहान, गांव व डाकघर चौहान विला, राभ निकट एस0सी0ई0आर0टी0 सपरून जिला सोलन,हि0प्र0	6,94,216 / -	बकाया राशि को वसूल करने बारे प्रयास जारी है।
	2018-19	मै0 राणा इंटरप्राइजेज एण्ड कम्पनी, श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री जगदीश सिंह, गाव हमबिवाल, डाकघर निकु नंगल, जिला रोपड़ पंजाब	1,29,19,214 / -	बकाया राशि की वसूली हेतु मामला भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर किया है व उपायुक्त, जिला बिलासपुर के विचाराधीन है।
	2018-19	मै0 राणा फर्म, देविन्द्र ग्रोवर पुत्र श्री प्रेम चंद ग्रोवर, मकान न0 1127, सैक्टर 37बी चण्डीगढ व राजेश पटियाल पुत्र श्री दलीप सिंह साई बतरन जिला हमीरपुर,	32,22,261 / -	-यथोपरि-
हमीरपुर	2018-19	मैसर्ज राणा पार्टनर्स	8,32,593 / -	बकाया राशि को वसूल करने बारे प्रयास जारी है।
	2018-19	मैसर्ज राणा एण्ड सन्ज	4,18,045 / -	बकाया राशि को वसूल करने बारे प्रयास जारी है।
	2018-19	मैसर्ज कुलदीप कुमार	17,57,110 / -	बकाया राशि की वसूली हेतु भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किया गया है व मामला राजस्व अधिनियम के अंतर्गत विचाराधीन है।
		कुल योग	52,29,61,783 / -	
